राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

76वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र सं	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु**	
	(क) सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने, कौषल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में षामिल होने एवं आय सृजन को सुधारने हेतु कौषल विकास विभाग आजीविका/कौषल विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रासंगिक जानकारी हेतु एक पुस्तिका प्रिंट कराकर एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करायेंगे। **(कार्यवाही : कौशल विकास विभाग)**	**(क)** सम्बन्धित विभाग से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है।
	(ख) कृषि विभाग, वित्तीय वर्ष 2021–22 में वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अप्रैल माह में नाबार्ड एवं सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित कर कार्यनीति बनायेंगे। **(कार्यवाही : कृषि विभाग)**	**(ख)** विभाग से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है।
	(ग) विभाग, उधम सिंह नगर Town Vending Committee / ULB को वैन्डर्स के रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण हेतु एवं रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट / LOR तुरन्त उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देषित करेंगे। **(कार्यवाही : शहरी विकास निदेशालय (एन.यू. एल.एम.)**	**(ग)** अग्रणी जिला प्रबन्धक, उधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि षहरी विकास निदेषालय, उत्तराखण्ड द्वारा उधम सिंह नगर Town Vending Committee / ULB को उक्त विषयक निर्देषित कर दिया गया है।
	(घ) जिला उद्योग केन्द्र एव ंके.वी.आई.सी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अतर्गत आवेदकों/ लाभार्थियों को ऑफलाईन प्रषिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। **(कार्यवाही : उद्योग विभाग)**	**(घ)** जिला उद्योग केन्द्र एव ंके.वी.आई.सी विभाग से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है।
	(ङ) (i) पर्यटन विभाग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अंतर्गत वाहन मद में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची बैंकवार एवं षाखावार एस.एल. बी.सी. को उपलब्ध करायेंगे।	**(ङ) (i)** पर्यटन विभाग से प्राप्त लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची बैंकों को उनकी आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है।
	(ii) पर्यटन विभाग, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत तैयार	**(ii)** पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत तैयार पोर्टल में सुधार

	पोर्टल विषयक आवष्यक जानकारी / संषोधन /सुधार हेतु राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर, पोर्टल विषयक आवष्यक जानकारी प्रदान करेंगे। **(कार्यवाही : पर्यटन विभाग)** **(च)** विभाग, माह अप्रैल में बैठक आयोजित कर, पी. एम. स्वनिधि, कृषि ऋण एवं सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के बढ़ते एन.पी.ए. पर चर्चा करेंगे। **(कार्यवाही : कृषि विभाग/उद्योग विभाग)** **(छ)** उद्योग विभाग, राज्य की समस्त एम.एस.एम.ई. इकाईयों का उद्यम रजिस्ट्रेषन कैम्प मोड में करायेंगे। **(कार्यवाही : उद्योग विभाग)** **(ज)** जिला अल्मोड़ा में षिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई एवं उद्यान विभाग Digital Mode में कार्य करेंगे। (**षिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई एवं उद्यान विभाग**)	हेतु प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित है। **(च)** विभाग से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है। **(छ)** उद्योग विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों का उद्यम रजिस्ट्रेषन पूर्ण कराये जाने विषयक सूचना प्रतीक्षित है। **(ज)** जिला अल्मोड़ा में षिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई एवं उद्यान विभाग द्वारा Digital Mode में कार्य किये जाने की सूचना प्रतीक्षित है।
2	**एस.एल.बी.सी. से संबंधित कार्य बिंदुः** **(क)** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत खाताधारकों को सुरक्षा बीमा से आच्छादित करने हेतु षासन स्तर पर बीमा प्रीमियम राषी रु. 12/– का योगदान प्रदान करने विषयक प्रस्ताव एस.एल.बी.सी. षासन को प्रेषित करेंगे। **(ख)** अप्रैल माह में अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिषत डिजीटाइजेषन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करेंगे।	**(क)** एस.एल.बी.सी. द्वारा पत्रांक प्रषा.का./एस.एल.बी.सी. /33 दिनांक 06 मई, 2021 के माध्यम से उक्त विषयक प्रस्ताव षासन को प्रेषित किया गया है। **(ख)** अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिषत डिजीटाइजेषन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जानी है।
3.	**नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदुः** नाबार्ड, कृषि क्षेत्र में Agriculture Infrastructure Fund अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग से समन्वय कर कार्यनीति बनायेंगे।	नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र में Agriculture Infrastructure Fund अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु कार्यनीति बनाये जाने की सूचना प्रतीक्षित है।
4.	**अग्रणी जिला प्रबन्धकों से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** जिले में कार्यरत बैंक षाखाओं में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजना अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करायेंगे। **(ख)** अग्रणी जिला प्रबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा TFIIP in ADP में दिये गये मासिक लक्ष्यों को निष्चित समय सीमा से पूर्व, प्राप्त करने हेतु प्रयास करेंगे। **(ग)** अग्रणी जिला प्रबन्धक सुनिष्चित करेंगे कि	**(क)** अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा बैंक षाखाओं को सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजना अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देषित कर दिया गया है। **(ख)** अग्रणी जिला प्रबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर द्वारा TFIIP in ADP में दिये गये मासिक लक्ष्यों को निष्चित समय सीमा में प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। **(ग)** अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा उक्त विषयक जिले में

	PMSBY एवं PMJJBY के अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु Auto Debit Mandate प्राप्त कर लिये गये हैं तथा बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण की अवधि में आच्छादित खाताधारकों की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण हो गया है। **(घ)** जिलों में FLC कैम्प में PMJDY खाताधारकों को PMSBY, PMJJBY एवं APY की जानकारी प्रदान करेंगे।	कार्यरत समस्त बैंकों को निर्देषित कर दिया गया है। **(घ)** अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा FLC कैम्प में PMJDY खाताधारकों को PMSBY, PMJJBY एवं APY की जानकारी प्रदान की जा रही है।
5.	**बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** बैंक In-Active बी.सी. को Active करने हेतु प्रयास करेंगे तथा In-Active बी.सी. के स्थान पर नये बी.सी. की नियुक्ति करेंगे। बैंक अवषेष 1051 बी.सी. के लिए बी.सी. सार्टिफिकेट कोर्स 30 जून, 2021 तक पूर्ण करायेंगे, ताकि सभी B.C. का IIBF द्वारा Certification हो जाये। **(ख)** बैंक सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु Auto Debit Mandate प्राप्त करेंगे तथा बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण की अवधि में आच्छादित खाताधारकों की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने हेतु खाताधारकों से मई माह के अन्तिम सप्ताह में PMSBY अंतर्गत रु. 12 एवं PMJJBY अंतर्गत रु. 330 खाते में षेष रखने हेतु षिक्षित करेंगे। **(ग)** कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक Standardized System (Block wise mapping) का कार्य अतिषीघ्र पूर्ण करेंगे। इण्डियन बैंक, नैनीताल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक मार्च, 2021 त्रैमास का डाटा RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर, SLBC India Portal पर अपलोड करेंगे। **(घ)** बैंक, एन.आर.एल.एम. एन.यू.एल.एम. एवं पी.एम.ई. जी.पी.,योजना अंतर्गत, षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज कर करेंगे तथा सम्बन्धित विभाग को सूचित करेंगे। **(ङ)** बैंक, तहसील से आर.सी. का मिलान करेंगे एवं वसूली हेतु तहसीलदार/राजस्व अमीनो का सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे बैंक के एन.पी.ए. खातों में समुचित वसूली हो सके। **(च)** बैंक, कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता	 **(क)** बैंकों द्वारा In-Active बी.सी. को Active करने तथा In-Active बी.सी. के स्थान पर नये बी.सी. की नियुक्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। 31 मार्च, 2021 तक बैंकों में 2252 Active बी.सी. में से 1316 बी.सी. द्वारा सार्टिफिकेट कोर्स किया जा चुका है तथा अवषेष 1308 बी.सी. द्वारा कोर्स किया जाना हैं। **(ख)** बैंकों द्वारा सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु Auto Debit Mandate प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है तथा बीमा पॉलिसी की नवीनीकरण की अवधि में आच्छादित खाताधारकों की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने हेतु खाताधारकों से मई माह के अन्तिम सप्ताह में PMSBY अंतर्गत रु. 12.00 एवं PMJJBY अंतर्गत रु. 330.00 खाते में षेष रखने हेतु षिक्षित किया जा रहा है। **(ग)** कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य प्रगतिषील है। इण्डियन बैंक, नैनीताल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा मार्च, 2021 त्रैमास का डाटा RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर, SLBC India Portal पर अपलोड नही किया गया है। **(घ)** बैंकों द्वारा एन.आर.एल.एम. एन.यू.एल.एम. एवं पी.एम. ई.जी.पी.,योजना अंतर्गत, षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। **(ङ)** बैंकों से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है। **(च)** बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC

	(KCC Saturation) के तहत ऋण स्वीकृत करने के उपरांत पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा कृषकों को KCC, KCC Dairy एंव KCC Fisheries के तहत ऋण प्रदान करेंगे। **(छ)** बैंक षाखायें सिक्कों के वितरण हेतु व्यापारियों, उद्योगपतियों, मण्डियों एवं जनसाधारण को सूचित करेंगे तथा सिक्कों के प्रचलन को प्रोत्साहित करेंगे।	Saturation) के तहत कृषकों को स्वीकृत ऋण का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य प्रगतिषील है। **(छ)** बैंक नियंत्रकों से उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है।

****